न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौडगढ

पीठासीन अधिकारी–श्री चावण्डदान चारण (आर.ए.एस)

प्रकरण संख्या – डिक्री 36 सन् 2021
पंजीयन दिनांक 14.06.2021

1. मन्जुदेवी पत्नि भेरूलाल जाति ब्राह्म्ण निवासी भादसोडा तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़
2. कालुलाल पिता भेरूलाल जाति ब्राह्म्ण निवासी भादसोडा तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़
3. कोमल पुत्री भेरूलाल जाति ब्राह्म्ण निवासी भादसोडा तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़

–अपीलांटगण

विरूद्व

1. रणजीत सिंह पिता अभयसिंह जाति राजपुत निवासी भादसोडा तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़
2. शहनाज पत्नि जाहिद मोहम्मद जाति मंसुरी मुसलमान निवासी भादसोडा तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़
3. जगदीश चन्द पिता पूरणमल जाति महाजन (अग्रवाल) निवासी भादसोडा तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़
4. कंचनदेवी पत्नि बालचन्द जाति खटीक निवासी भादसोडा तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़
5. राजकुमार पिता मथुरालाल जाति टांक निवासी भादसोडा तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़
6. सरकार जरिये तहसीलदार भदेसर तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़

–रेस्पोडेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्व
अंतिम निर्णय एवं डिक्री न्यायालय
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, भदेसर
प्रकरण संख्या 51/2019 अंतिम निर्णय एंव डिक्री दिनांक 28.01.2021

उपस्थित– 1. दिनेश दायमा–अधिवक्ता अपीलान्टगण
2. चन्दनमल जणवा –अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट–1
3. रेस्पोडेन्ट सं. 2 से 4 बावजुद सूचना अनुपस्थित
4. कालुलाल सुथार – रेस्पोडेन्ट सं. 5
5. पूरणमल स्वर्णकार–राजकीय अभिभाषक–रेस्पो.सं. 6

निर्णय **दिनांक 06.01.2022**

प्रकरण के संक्षित तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय मे रेस्पोडेन्ट सं. 1 वादी ने अपीलान्टगण व अन्य रेस्पोडेन्टगण के विरूद्ध ग्राम भादसोडा, तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़ मे खाता सं. 504 के अनुसार रेस्पोडेन्टगण वादी व अपीलान्टगण के संयुक्त खातेदारी मे नवीन आराजी नम्बर 1029 रकबा 1.02 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 1030 रकबा 0.01 हेक्टेयर, आराजी नम्बर 1031 रकबा 0.08 हैक्टेयर एवं आराजी नम्बर 1050 कुल किता 4 कुल रकबा 1.28 हैक्टेयर दर्ज रेकार्ड है। जिसके पुराने आराजी नम्बर 843 मी0 एवं आराजी नम्बर 842 मी0 है। जिसमे आराजी नम्बर 1050 का बंटवाडा कराने हेतु वादपत्र पेश किया गया। रेस्पोडेन्ट वादी ने पुराने आराजी नम्बर 843 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा मे से अपीलान्टगण प्रतिवादीगण के हिस्से मे से रकबा 0.15 हैक्टेयर जिसके नवीन आराजी नम्बर 1050 रकबा 0.17 हैक्टेयर है जिसे दिनांक 03.08.2011 को पंजीकृत विक्रय पत्र के जरिये अपीलान्ट सं. 1 से खरीद कर कब्जा प्राप्त किया तथा कब्जा मिलने के बाद रेस्पोडेन्ट वादी के पक्ष मे इन्तकाल नम्बर 3395 दिनांक 23.08.2011 को रेस्पोडेन्ट वादी के पक्ष मे विधिवत खोला गया। रेस्पोडेन्ट वादी ने उक्त आराजीयात खरीदकर कब्जा प्राप्त किया है, जिसके पडौस निम्न है। पूरब–आम सडक, पश्चिम–शंकरलाल ब्राह्म्ण की आराजी, उत्तर–शंकरलाल ब्राह्म्ण की आराजी, दक्षिण–रामसिंह की आराजी उपरोक्त पडौसो के मध्य की कृषि आराजीयात पर रेस्पोडेन्ट वादी का कब्जा है।

दीगर रेस्पोडेन्टगण प्रतिवादीगण ने भी अपीलान्ट नम्बर 1 से नवीन आराजी नम्बर 1050 मे से आराजीयात खरीद की है, जिनके पक्ष मे भी विधिवत इन्तकाल खुल चुके है, तथा रेस्पोडेन्टगण खरीदशुदा हिस्से पर काबिज है। पुराने आराजी नम्बर 842मीन, 843मीन से मिलकर नवीन आराजी नम्बर 1050 बने है। उक्त सभी आराजीयात का खाता संयुक्त है तथा रेस्पोडेन्ट वादी व अन्य प्रतिवादीगण अपने–अपने खरीदशुदा हिस्से पर काबिज है, लेकिन खाता संयुक्त होने से जमीनो की मार्केट रेट बढ जाने से आये दिन विवाद होते है। जिससे वादी रेस्पोडेन्ट सं. 1 उसके खाते कब्जे की आराजी नम्बर 1050 का कब्जे के अनुसार खाते व लगान का पांति बंटवाडा अलग–अलग कराना चाहता है। जिससे बंटवाडा कराने हेतु यह दावा पेश है। दिनांक 28.04.2014 को रेस्पोडेन्ट वादी ने खाते व लगान का पांति बंटवाडा अलग–अलग करने हेतु अपीलान्टगण व अन्य प्रतिवादीगण को कहा तो अपीलान्टगण व अन्य प्रतिवादीगण ने मना कर दिया जिससे वाद कारण पैदा होकर निरन्तर जारी है। अन्त मे यह भी निवेदन है कि मौजा भादसोडा तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़ की नवीन आराजी नम्बर 1050 के संयुक्त खाता व लगान का पांति बंटवाडा अलग–अलग कराया जाकर, वादी रेस्पोडेन्ट सं. 1 का खाता व लगान अलग–अलग कराया जावे।

उक्त आशय का वादपत्र अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे दिनांक 05.08.2014 को प्रस्तुत होने पर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किया जाकर अपीलान्टगण व अन्य प्रतिवादीगण के सम्मन नोटिस जारी किये गये। जिस

पर अपीलान्टगण प्रतिवादीगण अधीनस्थ न्यायालय मे जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए। व जवाब हेतु दिनांक 28.11.2014 का अवसर दिया गया जिस पर दिनांक 28.11.2014 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 10 जा0दी0 प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रार्थना पत्र का दिनांक 28.11.2014 को जवाब प्रस्तुत किया गया व तत्पश्चात् दिनांक 07.09.2015 को उक्त प्रार्थना पत्र का निस्तारण किये बगैर उक्त पत्रवली मे दिनांक 06.07.2017 को प्राथमिक निर्णय व डिक्री पारित की गई। दिनांक 06.07.2017 को पारित प्राथमिक व निर्णय व डिक्री की पालना मे दिनांक 09.10.2017 को अंतिम निर्णय व डिक्री पारित की। अंतिम निर्णय व डिक्री दिनांक 09.10.2017 के विरूद्ध अपीलान्टगण ने प्रथम अपील प्रस्तुत की जो इस न्यायालय द्वारा अपील क्रमांक डिक्री 220/2017 दर्ज रजिस्टर की जाकर दिनांक 10.1.2018 को अपील अपीलान्टगण अस्वीकार की जाकर अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 09.10.2017 को यथावत रखा गया। इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 10.01.2018 के विरूद्ध द्वितीय अपील राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के न्यायालय मे प्रस्तुत की गई जो अपील क्रमांक डिक्री 3370/2018/टी0ए0/चित्तौड़गढ़ दर्ज रजिस्टर की जाकर दिनांक 01.04.2019 को इन निर्देशो के साथ प्रतिप्रेषित की गई कि अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 09.10.2017 व इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 10.01.2018 को निरस्त किया जाकर इन निर्देशो के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह वादपत्र को पुनः दर्ज कर कमिश्नर तहसीलदार भदेसर स्वंय को मौके पर जाकर दोनो पक्षो की उपस्थिति मे विभाजन प्रस्ताव तैयार करवा दोनो पक्षो को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए अंतिम निर्णय व डिक्री पारित करे। जिस पर तारीख पेशी दिनांक 11.06.2019 विचारण न्यायालय के लिये नियत की गई। दिनांक 11.06.2019 को विचारण न्यायालय ने आदेशिका दिनांक 15.05.2019 के संदर्भ मे राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर से स्थगन प्राप्त होकर संलग्न पत्रावली किया। स्थगन की प्रति पालनानार्थ तहसीलदार भदेसर को भेजे जाने का आदेश पारित किया गया। तत्पश्चात् दिनांक 29.07.2019 को पत्रावली राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के निर्णय के इंतजार मे नियत की गई उसके पश्चात् दिनांक 21.12.2020 तक उक्त पत्रावली मे पीठासीन अधिकारी को अन्य कार्य मे व्यस्त व लॉकडाउन होने से पेशीयां तब्दील की जाती रही है व दिनांक 21.12.2020 को पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य मे व्यस्त होना बताते हुए आगामी तारीख पेशी दिनांक 15.03.2021 नियत की गई उससे पूर्व ही कमिश्नर तसीलदार भदेसर के द्वारा अपीलान्टगण को सूचना दिये बगैर अपीलान्टगण की अनुपस्थिति बताकर फर्द बंटवाडा रेस्पोडेन्ट वादी की उपस्थिति मे तैयार किया जाकर दिनांक 18.01.2021 को कमिश्नर द्वारा अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे प्रस्तुत किया व उसी फर्द बंटवाडे पर आपत्ति व एतराज सुने बगैर तारीख पेशी से पूर्व बिना अपीलान्टगण प्रतिवादीगण को सूचना दिये बगैर दिनांक 28.01.2021 को अंतिम निर्णय व डिक्री पारित की जिससे असंतुष्ट होकर अपीलान्टगण प्रतिवादी सं. 1 से 3 की ओर से इस न्यायालय मे प्रथम अपील प्रस्तुत की गई।

इस न्यायालय मे अपीलान्टगण की ओर से अपील दिनांक 11.02.2021 को प्रस्तुत होने पर इस न्यायालय द्वारा अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। व अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली वास्ते बहस अंतिम हेतु नियत की गई। उभयपक्षो की अधिवक्ताओ की बहस समायत की गई।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपनी अपील मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ विचारण न्यायालय ने बिना सूचना राजस्व अभियान दिनांक 06.07. 2017 को प्राथमिक निर्णय व डिक्री पारित की है। अपीलार्थीगण की अंतिम डिक्री के समय अवैधानिकता की जानकारी हुई तो अपीलांटगण प्रतिवादीगण की ओर से प्रथम व द्वितीय अपील माननीय राजस्व मण्डल अजमेर मे प्रकरण सं. 3370/2018 टी0ए0/चित्तौड़गढ़ प्रस्तुत की जो राजस्व मण्डल द्वारा दिनांक 01.04.2019 को स्वीकार की जाकर प्रकरण अंतिम बंटवाडा डिक्री की सुनवाई के लिये दोनो पक्षो को विचारण न्यायालय मे दिनांक 11.06.2019 को उपस्थित होकर कार्यवाही हेतु निर्देशो के साथ प्रतिप्रेषित की गई। अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्व मण्डल के निर्णय व प्रतिप्रेषित आदेशो की अनदेखी कर रेस्पोडेन्ट सं. 1 के साथ मिलीभगती करते हुए दिनांक 15.05.2019 को तहसीलदार भदेसर कमिश्नर से फर्द बंटवाडा बनाकर मंगवाने का आदेश देकर दिनांक 28.01.2021 को ही संयुक्त भूमि का बंटवाडा रेस्पोडेन्ट सं. 1 के मन–माफिक भू–भाग समेत अंतिम डिक्री एक तरफा मे बिना सूचना व सुनवाई का अवसर दिये पारित की है। अपील मे यह तथ्य भी अंकित किया कि अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय के पीठासीन अधिकारी ने अपनी सेवाये दिनांक 15.05.2021 को देते समय अचानक बिना नियत इसी पत्रावली मे पांति बंटवाडे की अंतिम डिक्री रेस्पोडेन्ट सं. 1 के पक्ष मे पारित कर दी। अपीलांटगण प्रतिवादीगण को इसकी जानकारी होते ही प्रकरण मुन्तकिली समेत राजस्व मण्डल मे अपील करके दिनांक 04.06.2019 को स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया। व आवेदन पत्र के साथ स्थगन आदेश की जानकारी लिखित मे अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे पेश कर दी, जो पत्रावली के रेकार्ड मे मौजुद होते हुए दिनांक 28.01.2021 को अंतिम डिक्री पारित की है। ऐसी स्थिति मे विचारण न्यायालय ने माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा पारित प्रतिप्रेषित आदेशो की पालना नही करते हुए पत्रावली मे दिनांक 15.03.2021 की तारीख पेशी होते हुए बिना सूचना दिये तारीख पेशी से पूर्व दिनांक 28.01.2021 को अंतिम निर्णय व डिक्री पारित की है जो सिविल प्रक्रिया संहिता के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। अन्त मे अपीलांटगण प्रतिवादीगण ने अपील स्वीकार कर अधीनस्थ विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 28.01.2019 को निरस्त करने का अनुरोध किया।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं. 1 ने अपनी बहस मे निवेदन किया कि माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा पारित निर्णय अपील डिक्री 3370/2018/ टी0ए0/चित्तौड़गढ़ निर्णय दिनांक 01.04.2019 मे यह निर्देश पारित किये थे कि अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय वादपत्र को पुनः दर्ज करे। तहसीलदार स्वंय

स्थल निरीक्षण कर रिपोर्ट तैयार करे व उभयपक्ष को सुनकर विधि अनुसार अंतिम डिक्री जारी करे। विचारण न्यायालय ने माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के निर्देशो की पालना मे प्रकरण दिनांक 11.06.2019 को पुनः दर्ज किया गया व तहसीलदार भदेसर को राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के निर्देशो की पालना मे फर्द बंटवाडा तलब किया गया। तहसीलदार भदेसर ने उभयपक्ष को सूचना पत्र जारी कर फर्द बंटवाडा तैयार किया गया। व उक्त फर्द बंटवाडा विचारण न्यायालय मे प्राप्त होने पर अंतिम निर्णय व डिक्री पारित की गई जो विधि अनुसार होकर अपीलान्ट की अपील सारहीन होकर निरस्त किये जाने योग्य है।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं. 5 व 6 ने अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिकी को विधिपूर्ण होना बताते हुए अपीलान्टगण प्रतिवादीगण की अपील निरस्त करने का निवेदन किया।

हमने उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओ की बहस का विधिपूर्ण अवलोकन किया। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली का विधिपूर्ण अवलोकन किया। राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर अपील डिक्री 3370/2018/टी.ए./चित्तौड निर्णय दिनांक 01.04.2019 व पत्रावली मे प्रस्तुत दस्तावेजो का भी अवलोकन किया। माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के प्रतिप्रेषित आदेश दिनांक 01.04.2019 मे माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल, अजमेर ने पूर्व मे पारित अंतिम निर्णय व डिक्री को निरस्त कर इन निर्देशो के साथ प्रतिप्रेषित किया गया है कि प्रकरण को पुनः दर्ज कर तहसीलदार भदेसर कमिश्नर को स्वंय के द्वारा स्थल निरीक्षण कर उभयपक्षो की उपस्थिति मे फर्द बंटवाडा तैयार कर उसे पत्रावली मे लिया जाकर उभय पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर अंतिम निर्णय व डिक्री पारित करने के निर्देश दिये गये। अधीनस्थ तहसीलदार भदेसर कमिश्नर द्वारा दिनांक 09.12.2020 को फर्द बंटवाडा तैयार किया गया। जिसके मुख्य पृष्ठ पर अंकित किया गया है कि समस्त प्रतिवादीगण बावजूद सूचना अनुपस्थित है। फर्द बंटवाडे के साथ तहसीलदार भदेसर द्वारा दिनांक 09.12.2020 को पर्चा मौका बनाये जाने हेतु सूचना पत्र जारी किये गये जिसमे किसी भी प्रतिवादीगण की तामील होना नही पाया जाता है। ऐसी स्थिति मे कमिश्नर तहसीलदार भदेसर के द्वारा पर्चे मे यह अंकित करना कि समस्त प्रतिवादीगण बावजूद सूचना अनुपस्थित है। उचित प्रतीत नही होता है। व उक्त फर्द बंटवाडा विचारण न्यायालय मे दिनांक 18.01.2021 को प्रस्तुत हुआ उससे पूर्व पत्रावली मे दिनांक 21.12.2020 की तारीख पेशी नियत की जिसमे प्रकरण मे आगामी तारीख पेशी दिनांक 15.03.2021 नियत की गई। तारीख पेशी से पूर्व बिना पक्षकारान को सूचना दिये दिनांक 28.01.2021 को बिना पक्षकारान की आपत्ति व एतराज सुने अंतिम निर्णय व डिक्री अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित की गई है जिससे राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 01.04.2019 के निर्देशो की पालना नहीं होना स्पष्ट होता है। जिससे अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित अंतिम निर्णय व डिक्री दिनांक 28.01.2021 संहवनीय नही होने से अपीलान्टगण प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार किये जाने योग्य है।

फलस्वरूप अपील अपीलान्टगण प्रतिवादीगण स्वीकार की जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भदेसर प्रकरण संख्या 51/2019 अंतिम निर्णय व डिक्री दिनांक 28.01.2021 निरस्त की जाकर प्रकरण इन निर्देशो के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा पारित प्रतिप्रेषित आदेश दिनांक 01.04.2019 की पालना सुनिश्चित की जाकर उभय पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए विधि अनुसार अजरसे नव निर्णय पारित करे।

निर्णय आज दिनांक 06.01.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की सत्यप्रति के साथ अग्रिम कार्यवाही हेतु अविलम्ब लोटायी जावे ।

(चावण्डदान चारण)
राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौडगढ